

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—द/22492/प्रवेशोत्त्व/2019–20/18

दिनांक : 15/4/2019

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :- समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु दिनांक 09.05.19 को वृहद बालसभा के आयोजन हेतु

प्रसंग:- आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/बाल सभा/2018–19/501, दिनांक 12.04.19

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक : शिविरा/माध्य/मा—स/22418/शिविरा पंचांग/2018–19/209, दिनांक : 29.03.2019 द्वारा शिविरा पंचांगानुसार दिनांक : 30.04.19 को घोषित किए जाने वाले वार्षिक परीक्षा परिणाम एवं अभिभावक—अध्यापक परिषद तथा एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. की साधारण सभा की बैठक कार्यक्रम को संशोधित करते हुए जिन लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में दिनांक : 29.04.19 को 17 वीं लोकसभा हेतु मतदान दिवस है, उन लोकसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले विद्यालयों में उक्त परीक्षा परिणाम घोषणा तथा पी.टी.एम. एवं एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. की साधारण सभा की बैठक दिनांक : 03.05.19 को किए जाने बाबत निर्देश प्रदान किए गए थे। सम्पूर्ण राज्य में एकरूपता के दृष्टिगत उक्त आदेश में संशोधन उपरांत वर्तमान में समस्त विद्यालयों में परीक्षा—परिणाम घोषणा तथा पी.टी.एम. एवं एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. की साधारण सभा की बैठक ग्रीष्मावकाश प्रारंभ होने के पूर्व अन्तिम कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 09.05.19 को, की जानी है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि तथा विद्यार्थियों के सतत ठहराव हेतु चलाए जा रहे अभियान को गति प्रदान करने हेतु दिनांक : 09.05.19 को ही विद्यालयों में वृहद स्तर पर बालसभा का आयोजन ग्राम/वास स्थान में सार्वजनिक स्थल पर समारोह पूर्वक किया जावे। उक्त स्थल सुगम्य एवं छायादार हो, जहां कार्यक्रम के आयोजन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उक्त बालसभा आयोजन में पूर्व की बालसभाओं में चिन्हित किये गये प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को प्राथमिकता से अवसर दिया जावे। उपर्युक्त कार्यक्रम के सफल एवं सुचारू आयोजन हेतु क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों में अग्रांकित विवरणानुसार कार्यवाही सम्पादित की जानी सुनिश्चित करावे।

- **परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति—पत्र/रिपोर्ट कार्ड वितरण :-** कक्षा 6, 7, 9 एवं 11 की परीक्षाएं जिला समान परीक्षा योजना के तहत ली गई हैं। विद्यालय स्तर पर तैयार किए जाने वाले परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं प्रगति—पत्र वितरण विद्यार्थियों के अभिभावकों की उपस्थिति में किया जावे। इसी प्रकार कक्षा 1 से 4 में

अध्ययनरत विद्यार्थियों के रिपोर्ट कार्ड भी विद्यार्थियों को उनके अभिभावकों की उपस्थिति में प्रदान किये जावें। कक्षाध्यापक द्वारा प्रगति-पत्र/रिपोर्ट कार्ड वितरण के समय अभिभावक से विद्यार्थी की वर्ष भर की प्रगति, विशिष्ट उपलब्धि, आवश्यकताओं एवं ग्रीष्मावकाश अवधि की कार्य योजना पर विमर्श अवश्य किया जावे। कक्षा में प्रथम तीन रथान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संस्था प्रधान द्वारा स्वयं मंच पर बुलाकर संसम्मान बालसभा के अध्यक्ष के हाथों प्रगति-पत्र दिलवाया जावे।

- वृहद बाल सभा का आयोजन :-

इस सत्र के अंतिम कार्य दिवस की यह बाल सभा वृहद स्तर पर विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं रथानीय जनसमुदाय हेतु रोचक हो, इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजन किया जावे। इसमें पूर्व आयोजित बालसभाओं में आकर्षक एवं प्रेरक प्रस्तुति देने वाले चिन्हित विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों को प्राथमिकता दी जावे। बालसभा में विद्यालयी शिक्षा के महत्व, नवीन प्रवेश तथा नामांकन अभियान से संबंधित प्रस्तुतियां अवश्य सम्मिलित की जावे। इस कार्यक्रम में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय की वर्ष भर की विद्यालय की उपलब्धियों, आगामी योजनाओं एवं आवश्यकता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। वर्स्तुतः विद्यालय में बालकों द्वारा सहशैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त कौशल एवं दक्षताओं का विद्यालय के बाहर गांव की चौपाल अथवा सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शन का मंच है—बालसभा। ऐसे में विद्यालय में अप्रवेशित बालक—बालिकाएं तथा ऐसे बालक—बालिकाओं के अभिभावक प्रभावित होकर विद्यालय से जुड़ते हैं और अनामांकित के प्रवेश का मार्ग सहज हो जाता है। बालसभा में इन अप्रवेशित बालकों को अपने हुनर की अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाकर विद्यालय की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकता है। इसी प्रकार उनके अभिभवकों को इस सभा में अतिथि के रूप में सम्मिलित कर सहज ही उनका विश्वास अर्जित किया जा सकता है। इस सभा के द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत बालक—बालिकाओं को विभागीय योजनान्तर्गत प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों एवं आनामांकित बालक—बालिकाओं के अभिभावकों तक पहुंचाई जा सकती है। इस प्रकार सर्वाजनिक स्थल पर आयोजित होने वाली बालसभाएं विद्यालय के नवीन नामांकन के लिये सशक्त सहयोग प्रदान कर सकती है।

- अभिभावक — अध्यापक परिषद की बैठक का आयोजन :- मौजूदा शैक्षिक सत्र की अंतिम एवं चतुर्थ अभिभावक — अध्यापक परिषद की बैठक का आयोजन भी वृहद बाल सभा के आयोजन के साथ ही दिनांक 09.05.19 को ही बालसभा स्थल पर ही किया जाना है। उक्त बैठक में कक्षाध्यापक एवं विषयाध्यापक द्वारा अभिभावक के साथ विद्यार्थी की वर्ष भर की शैक्षिक प्रगति, प्राप्त उपलब्धि एवं मूल्यांकन के उपरान्त प्रेक्षित आवश्यकता के बिन्दुओं पर गहन विमर्श किया जावे। ग्रीष्मावकाश के लिये पूर्व से विद्यार्थीवार तैयार कार्य योजना से संबंधित अभिभावक को अवगत कराया जावे। अभिभावक को उनके परिवार, मोहल्ले एवं समुदाय में अनामांकित विद्यार्थियों के विद्यालय में प्रवेश के संबंध में बात की जावे तथा उनके प्रभाव के

अनुरूप उन्हें दायित्व दिया जावे। ऐसे चिन्हित विद्यार्थी, जिनका आगामी शैक्षिक सत्र में विद्यालय में ठहराव शक्ति है, के अभिभावकों के साथ विशेष चर्चा कर संभावित ड्रॉप-आउट को पारस्परिक अन्तःक्रिया द्वारा रोका जाना सुनिश्चित किया जावे। अभिभावक-अध्यापक परिषद की इस बैठक की सूचनाएं पूर्व की बैठकों के अनुरूप आवश्यक रूप से शाला दर्पण पर अपडेट किया जाना सुनिश्चित करें।

- एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. की साधारण सभा की बैठक का आयोजन :- वर्ष में एक बार आयोजित की जाने वाली एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. की साधारण सभा की बैठक का आयोजन भी वृहद बालसभा के साथ किया जावे। सत्रपर्यन्त किये गये कार्यों का अनुमोदन लिया जावे एवं आगामी सत्र की कार्य योजना बनाई जावे। विद्यालय की वार्षिक योजना एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. से अनुमोदित कराई जावे तथा उन्हें विभिन्न भौतिक संसाधनों की उपलब्धता, शैक्षिक/सह-शैक्षिक गतिविधियों में भागीदारी का दायित्व आवंटित किया जावे। उक्त बैठक में ग्राम में अनामांकित बालक-बालिकाओं के नामांकन तथा अध्ययनरत विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत ठहराव सुनिश्चित करने के लिये एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. सदस्यों को उनके परिषेक्षक हेतु दायित्व प्रदान किया जावे। विद्यालय के भौतिक विकास के लिये भामाशाहों को चिन्हित करने एवं उन्हें इस हेतु प्रेरित करने का दायित्व भी एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. सदस्यों को स्टाफ सदस्यों के साथ दिया जा सकता है।
- पूर्व विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी एवं पंजीयन :- विद्यालय से उनके पूर्व विद्यार्थियों का आत्मिक जुड़ाव होता है। पूर्व प्रदत्त विभागीय निर्देशानुरूप विद्यालयों में पूर्व विद्यार्थी फोरम का गठन किया हुआ है। उक्त वृहद बालसभा में पंजीकृत सभी पूर्व विद्यार्थियों को आमन्त्रित किया जावे तथा विद्यालय की विभन्न गतिविधियों हेतु उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जावे। ऐसे पूर्व विद्यार्थी, जिनका पंजीयन पूर्व विद्यार्थी फोरम में नहीं है, उनका नाम एवं सम्पर्क सूत्र लेकर उनका पंजीयन किया जावे। ये पूर्व विद्यार्थी न केवल विद्यालय के भौतिक विकास में भागीदारी निभा सकते हैं, वरन् समय निकाल कर विद्यालय को यथासम्भव सहयोग भी दे सकते हैं। अतः उक्तानुसार प्रत्येक पूर्व विद्यार्थी का पृथक-पृथक् आकलन कर उन्हें दायित्वबद्ध किया जा सकता है। आगामी वर्ष की एल्यूमनी (Alumni) मीट के आयोजन की रूपरेखा भी उक्त सभा के दौरान बैठक में तैयार की जा सकती है।
- ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की विद्यालय प्रबन्धन में सहभागिता :-
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के स्थाई निर्देशानुसार सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत की पाक्षिक बैठक प्रतिमाह की दिनांक : 5 एवं 20 को नियमित रूप से आयोजित की जाती है। उक्त बैठकों में ग्राम पंचायत परिषेक्षक की समस्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा विद्यालय की स्थानीय समस्याओं एवं विषयों के निस्तारण एवं विद्यालय के शैक्षिक एवं भौतिक विकास बाबत् स्थानीय जनसमुदाय के जुड़ाव तथा वांछित सहयोग प्राप्ति हेतु समय-समय पर भाग लेना अपेक्षित है। समस्त संस्था प्रधानों एवं PEEO द्वारा उक्त विशिष्ट अवसर का लाभ शत-प्रतिशत नामांकन लक्ष्य प्राप्ति हेतु एक सुअवसर के रूप में उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत क्षेत्र के PEEO तथा समस्त संस्था प्रधानों द्वारा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु ग्राम

सभा/वार्ड सभा के आयोजन के दौरान पंचायती राज विभाग द्वारा नामित ग्राम सभा प्रभारी, एस.डी.एम.सी./एस.एम.सी. सदस्यों, स्वयंसेवी संस्थाओं, गैर राजकीय संगठनों, स्थानीय भामाशाहों, स्थानीय मीडिया एवं अन्य राजकीय एजेंसियों से पूर्व विचार-विमर्श एवं समन्वय उपरान्त सम्पूर्ण परिक्षेत्र हेतु शत-प्रतिशत नामांकन एवं सुनिश्चित ठहराव की प्रभावी रूपरेखा निर्मित कर तदनुरूप ग्राम पंचायत/कैचमेंट एरिया के समस्त विद्यार्थियों हेतु सार्थक कार्य-योजना निर्मित की जानी अपेक्षित है। उक्त वृहद बालसभा में अधिकाधिक अभिभावकों एवं स्थानीय निवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करावें। इस हेतु आयोजन से पूर्व में ही उन्हें आमन्त्रण पत्र भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों द्वारा क्षेत्राधिकार में समस्त सम्बन्धित प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO को पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों से अपनी ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर ग्राम सभा आयोजन हेतु निर्धारित तिथि की अवगति प्राप्त कर तदनुसार नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों तथा जिला/उपखण्ड/तहसील प्रशासन एवं पंचायती राज विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों एवं अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों/एजेंसियों से वांछित सहयोग प्राप्त करने हेतु ग्राम सभा आयोजन से पूर्व सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करने वाले समुचित निर्देश प्रदान किए जाएं। उक्त ग्राम सभाओं में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक तथा PEEO आवश्यकतानुसार स्टाफ सदस्यों का सहयोग लेते हुए समस्त उपस्थित अभिभावकों/ग्रामवासियों को इस विशिष्ट अभियान के सम्बन्ध में अवगत करवाते हुए नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु उनकी सहभागिता प्राप्त करेंगे। साथ ही ग्राम सभा आयोजन में उपस्थित समस्त ग्रामवासियों/अभिभावकों तथा पंचायती राज विभाग के स्थानीय अधिकारियों/कार्मिकों को राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्राप्त विभिन्न प्रकार की सुविधाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु विभाग द्वारा लागू योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सम्बन्ध में विस्तार से अवगत करवाया जाए तथा विभाग द्वारा शैक्षिक क्षेत्र में सुधार हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों-उपागमों के परिणामस्वरूप विगत वर्षों में प्राप्त उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी भी दी जाये।

- स्वायत्तंशासी संस्थाओं की सभाओं में नामांकन एक प्रमुख एजेण्डा:-

पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर परिषद्, नगर निगम व जिला परिषद् की साधारण सभाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु निर्मित कार्य योजना के अनुसार जिला परिषद्, नगरीय निकायों व पंचायत समितियों की निर्वाचन विभाग की आदर्श आचार संहिता की अवधि समाप्त होने के पश्चात् आयोजित होने वाली साधारण सभा बैठकों में एजेण्डा बिन्दु रखवाकर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला परिषद्/नगर निगम/नगर परिषद् की साधारण सभा में एवम् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित अनुभवी अधिकारियों द्वारा जिले की समस्त पंचायत समितियों/नगर पालिकाओं की साधारण सभा में उपस्थित रहकर नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान कर

विभिन्न स्तरों पर स्थानीय जन समुदाय की सक्रिय भागीदारी एवं सार्थक जुड़ाव नामांकन वृद्धि तथा ठहराव सुनिश्चितता हेतु प्राप्त किए जाने की कार्यवाही सम्पादित करावें।

- नामांकन के लिये लक्ष्य निर्धारित कर कार्य योजना का निर्माण :-

विद्यालय में नामांकन वृद्धि के कार्य में न केवल नवीन नामांकन ही हमारा ध्येय होना चाहिये वरन् विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों का ठहराव भी प्रमुख उद्देश्य हो। वस्तुतः नामांकन की सार्थकता तब ही है जबकि अनामांकित विद्यार्थी का विद्यालय में प्रवेश उपरान्त उक्त विद्यार्थी सत्र-पर्यन्त कक्षा में शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रूचिपूर्वक भाग ले एवं वांछित लक्ष्य प्राप्त कर आगामी कक्षा में प्रवेश प्राप्त कर ले। इसके लिये पूर्व से योजना बनाकर कार्य करना होगा। यह योजना दोनों ही लक्ष्यों के लिये पृथक्-पृथक् बनानी होगी। गत सत्र में आऊट ऑफ स्कूल में से शेष विद्यार्थी, जो प्रवेश से अभी तक वंचित है, ऐसे अनामांकित बालक-बालिकाओं के लिए अभी से प्रयास प्रारंभ कर दिये जाने चाहिये और उस सामाजिक परिवेश के जिम्मेवार एवं प्रबुद्ध जनों, पूर्व विद्यार्थियों एवं वर्तमान में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सहायता से उन्हें नामांकित करने हेतु विशिष्ट प्रयास किये जावें। विद्यालय प्रवेश हेतु निर्धारित आयु-वर्ग में आने वाले बालक-बालिकाओं की सूची आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्राप्त कर उनका विधिवत् विद्यालय प्रवेश तत्काल प्रारंभ कर दिया जाना चाहिये। इसके लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का आवश्यक सहयोग लिया जावे। कक्षाध्यापकों के साथ मिलकर अध्ययनरत विद्यार्थियों में से ऐसे विद्यार्थी चिन्हित किये जावें, जिनके अध्ययन की निरंतरता में व्यवधान संभावित हो, उनके अभिभावकों के साथ सतत् सम्पर्क उनके विद्यालय में ठहराव को बनाए रखने में अवश्य ही सहायक होगा। इसी प्रकार कक्षा के उच्चतम स्तर (कक्षा 5, कक्षा 8, कक्षा 10 एवं कक्षा 12) की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के साथ सतत् सम्पर्क में रह कर उन्हें उच्च विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रेरित करें। उच्च विद्यालय के संस्था प्रधान/पी.ई.ई.ओ. परिक्षेत्र के अन्य विद्यालयों से संस्था प्रधानों से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त करें एवं उनकी सहायता से उनका आगामी अध्ययन सुनिश्चित करें।

- राजकीय योजनाओं का अधिकतम प्रचार प्रसार :-

वर्तमान में शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं प्रोत्साहन के लिये विभाग द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जा रही है तथा विभन्न प्रकार की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन सम्बन्धी योजनाएं संचालित की जा रही है। उक्त समस्त प्रकार की सुविधाओं एवं संचालित योजनाओं की जानकारी समस्त ग्रामवासियों एवं नागरिकों को प्रदान की जानी अपेक्षित है। विद्यालय इन योजनाओं के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाएं तथा साथ ही इस योजनाओं के बार में ग्रामवासियों को विस्तृत जानकारियां देवें। बाल सभा के इस आयोजन में ऐसे बालक एवं बालिकाएं, जिनके द्वारा इन लाभकारी योजनाओं से शिक्षा का लाभ प्राप्त किया गया है, उनसे मंच पर सभी को परिचित कराया जावे। विभिन्न लाभकारी योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थियों के माध्यम से अनामांकित बालक-बालिकाओं एवं उनके अभिभावकों के मध्य यह संदेश पहुंचना आवश्यक है कि शिक्षा न केवल विद्यार्थी को सही दिशा

देती है वरन् सरकार द्वारा दी जा रही प्रोत्साहन योजनाओं से उसे निःशुल्क शिक्षा एवं सहायता प्रदान करने वाली शिक्षा प्राप्त होती है। दिनांक : 09.05.2019 को समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा आयोज्य वृहद बाल सभा आयोजन के प्रचार – प्रसार से सम्बन्धित प्रचार सामग्री (यथा—पोस्टर—बैनर, पैम्फलेट, फोल्डर इत्यादि) में इनका उल्लेख किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त नामांकन वृद्धि अभियान के तहत ग्राम/वास स्थान में विद्यार्थियों द्वारा निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों के माध्यम से भी इनका अधिकाधिक प्रचार – प्रसार एवं जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा सकती है। साथ ही राजकीय विद्यालयों में पूर्ण प्रशिक्षित एवं उच्च योग्यताधारी शिक्षकों की नियुक्ति से सम्बन्धित तथ्य की अवगति भी आम जनमानस तक पहुंचाई जानी चाहिए। उक्त बाल सभा आयोजन से सम्बन्धित आमंत्रण पत्र एवं पोस्टर/पैम्फलेट ग्राम/वास स्थान में अवस्थित ढाणियों तक आवश्यक रूप से पहुंचाए जाएं।

उपर्युक्तानुसार क्षेत्राधिकार में समस्त संस्था प्रधानों को उपर्युक्तानुरूप निर्देशित कार्यवाही दिनांक : 09.05.2019 को सार्वजनिक स्थल पर वृहद बाल सभा आयोजन, समारोह पूर्वक परीक्षा परिणाम की घोषणा, अभिभावक—अध्यापक परिषद, एस.डी.एम.सी. /एस.एम.सी. की बैठकों तथा नामांकन वृद्धि एवं ठहराव सुनिश्चितता हेतु निर्मित कार्य—योजना की ठोस एवं सार्थक क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।

(नर्मल डिल्लौ)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 3 समस्त जिला कलक्टर।
- 4 निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
- 5 आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान सह अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- 7 समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
- 8 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–गांधीगढ़।
- 9 समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान
- 10 सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–गेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
- 11 उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
- 12 वरिष्ठ सम्पादक “शिविर”, प्रकाशन अनुगाम, कार्यालय को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
- 13 स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
- 14 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर